

सं0 13018/11/84-स्था० छुट्टी०

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक ५-३-१९८५

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- जोखिमपूर्ण गर्भित होने पर प्रशुति छुट्टी के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग को इस आशय के बहुत से पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण माँगा गया है कि क्या देन्द्रीय सिद्धि सेवा छुट्टी० नियमावली, १९८२ के नियम ४३०२५ के अधीन प्रशुति छुट्टी की मंजूरी के उद्देश्य के लिए स्वीकार्य छह सप्ताह की अवधि को "जोखिमपूर्ण गर्भित" गर्भित के बराबर माना जाए। यह मामला स्पास्थ्य विभाग के परामर्श से इस विभाग के विचाराधीन रहा है तथा अब यह स्पष्ट किया गया है कि गर्भित के अंतर्गत "जोखिमपूर्ण गर्भित" नहीं जाता तथा "जोखिमपूर्ण गर्भित" के मामले में प्रशुति छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है।

संभारा० ८२४
सुभद्रा एस०

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा मैं,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग।

प्रति अग्रेजितः-

संलग्न सूची के अनुसार ।

प्रतिः-

- 1- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्ष तथा उसके नियंत्रणाधीन सभी राज्यों के नियंत्रक और महा लेखा परीक्ष ।
- 2- महा लेखा नियंत्रक
- 3- लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
- 4- संघ लोक सेवा आयोग/सर्वोच्च सचिवालय/नवाचिन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/जा राष्ट्रपति सचिवालय/सुधान मंत्री कायलिय/योजना आयोग/वित्त आयोग ।
- 5- श्री डी०डी० भागवाला, वरिझ लोभिक और वार्षिकारी अधिकारी, लोक सभा सचिवालय ।
- 6- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
- 7- जेएसी०ए० अनुभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
- 8- अपर सचिव संघ शासित बैठक । गृह मंत्रालय ।
- 9- सभी राज्य सरकारें और संघ शा. सत् बैठक ।
- 10- सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासत् देशों के उप राज्यपाल ।
- 11- सचिव, राष्ट्रीय परिषद्/वर्धारी पक्ष ।, अशोक रोड, नई दिल्ली ।
- 12- जेएसी०ए० की राष्ट्रीय परिषदके वर्धारी पक्ष के सभी सदस्य ।
- 13- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
- 14- गृह मंत्रालय के सभी विभाग ।
- 15- गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कायलिय ।
- 16- श्री पी० मुथुस्वामी, स्वामी पब्लिशर्ज, सान्ध्या मैसनज, 164, आर० के० भट्ट रोड, पौस्ट लक्ष्म संख्या 2468, आर०ए० पुरम, मद्रास-600028
- 17- 200 अतिरिक्त प्रतिपां।

क्रमांक । ८३
५ सुभद्रा एस०